न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 92/2022

प्रार्थी

दलपतसिंह पुत्र इन्दरसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी–पालडी एम., तह. शिवगंज व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही
(2) ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पालडी एम, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही
(3) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 26 मार्च, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांकः 689 दिनांक 02.11.2020 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, पालडी एम से प्रश्नगत नोटिस से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत पालडी एम द्वारा वर्ष 1982 में अपने व्यवसाय हेतु भूमि 10X10 कुल 100 वर्गफीट केबिन भूमि 10/– रुपये प्रतिमाह की दर से किराये पर दी गई थी जिस पर प्रार्थी द्वारा केबिन लगाकर हार्डवेयर का अपना छोटा मोटा व्यवसाय करता आ रहा है तथा अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, पालडी एम से स्वकृति लेकर वर्ष 1982 में विद्युत कनेक्शन लिया था एवं करीबन राशि रुपये 1,50,000/– लगाकर केबिन का पक्का निर्माण करवाया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, पालडी एम को नियमित रुप से किराया जमा करवाता आ रहा है। दिनांक 31.3.2010 तक की किराया राशि रुपये 4,460/– (अक्षरे रुपये चार हजार चार सौ साठ) प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, पालडी एम में जरिये रसीद संख्या 13 दिनांक 03.2.2011 से जमा करवाये गये है। यह कि वर्ष 2020 व 2021 में पूर्ण रूप से कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन होने से राज्य सरकार द्वारा किराया माफ किया गया था उसके बावजूद भी किराया राशि की मांग की जा रही है जो गलत की जा रही है। यह कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा दिनांक 01 अप्रेल, 2010 से 31 अक्टूम्बर, 2020 तक की किराया राशि रुपये 28,796/– (अक्षरे रुपये अठाईस हजार सात सौ छियानवे) बकाया होना बताकर नोटिस जारी किया एवं उक्त बकाया राशि 7 दिन में

.......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*

पंचायत में जमा करवाने हेतु सूचित किया है। इससे पूर्व दिनांक 09.7.2018 को ऑडिट की बकाया राशिया रूपये 6,840/- (अक्षरे रूपये छः हजार आठ सौ चालीस) जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया है। जबकि प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से किराया राशि ग्राम पंचायत कोष में जमा करवाई है। यह कि प्रतिमाह 10/- रूपये की दर से राशि रूपये 1,200/- (अक्षरे रूपये एक हजार दो सौ) होती है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा तय राशि की मांग नही करके गलत रूप से राशि की मांग की जा रही है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 के तहत ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से ही किराया राशि बढातेरी करने का अधिकार है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा किराये पर दिये गये जिरा केबिन का किराया 10/- रूपये प्रतिमाह नियत था उसकी ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रतिमाह 1,000/- रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये) की दर से किराये में बढोतरी की गई है एवं ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा दिनांक 28.10.2020 को किराया राशि बढोतरी का प्रस्ताव भी गलत रूप से पारित किया है, जिसकी नकल मांगने पर प्रार्थी को उपलब्ध नही करवाई है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरित जाकर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढोतरी की दर के स्थान पर अचानक से राशि रूपये 1,000/- (अक्षरे रुपये एक हजार) की प्रतिमाह किराये में बढोतरी करने का निर्णय पारित करते हुए नोटिस जारी किया है, जो नियम विरुद्ध है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी को जारी उक्त नोटिस दिनांक 20.11.2020 को निरस्त किया जावे एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164 के तहत विधि अनुसार किराया राशि लेने हेतु ग्राम पंचायत, पालडी एम को निर्देशित किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता श्री धवल ने अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि सन् 1982 में ग्राम पचायत पालडी द्वारा अपनी स्वयं के आय का स्त्रोत बढाने के लिय ग्राम पचायत पालडी एम ने अपनी स्वयं के मालिकी स्वामित्व के भूखण्ड पर बनी हुई 10 बाय 10 वर्गफिट केबिन स्वरोजगार हेतु प्रार्थी को अस्थायी तौर पर आंवटित कर व्यवसाय करने हेतु दिया था। ग्राम पंचायत, पालडी एम ने प्रार्थी को स्थायी रूप से आवटित नहीं कर केवल मात्र अस्थायी रूप से किराये पर दी है। अप्रार्थी ग्राम पचायत, पालडी एम ने अपने मालिकी स्वामित्व के उक्त केबीन को बतौर किरायेदार प्रार्थी को आवटित किया है लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थी ग्राम पचायत पालडी एम की जानकारी व सहमति के बिना उक्त किराये के परिसर पर राजस्थान पचायती राज अधिनियम व नियमों के विपरित अपनी दबंगता दिखाते हुये पक्का निमार्ण कार्य किया है। प्रार्थी को उपरोक्त भुमि पर केबिन की जगह पक्की दुकान बनाने की अप्रार्थी ग्राम पचायत, पालडी एम द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। अप्रार्थी ग्राम पचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी को अस्थायी रूप से व्यवसाय करने हेतु आवंटित परिसर का किराया प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से अदा नही किया गया है। प्रार्थी ने दिनांक 31.3.2010 तक किराये राशि अदा कर आदिनांक तक करीब 14 वर्ष तक की बकाया किराया राशि पंचायत कोष में जमा नही करवाई है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.3.21010 के बाद ग्राम पंचायत, पालडी एम के मालकी व स्वामित्य के केबिन का किराया नियमित रूप से अदा नही किये जाने पर ग्राम पचायत, पालडी एम ने प्राथी को व्यक्तिगत रूप से किराया राशि अदा करने की मांग की व बकाया राशि जमा नही करवाने पर परिसर खाली करने हेतु कहा। जिस पर प्रार्थी द्वारा किराये की राशि बढाने का प्रस्ताव रखने पर पारस्परिक आपसी सहमति से किराये की राशि में 20 प्रतिशत की बढोतरी गई थी, लेकिन प्रार्थी द्वारा दिसम्बर, 2013 के बाद भी नियमित रुप से किराया की राशि पंचायत कोष में जमा नही करवाई। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, पालडी एम को नियमित रूप से किराया की राशि का भुगतान नहीं

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किये जाने पर दिनांक 28.10.2020 को ग्राम पंचायत, पालकी एम द्वारा पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में बैठक में यह निर्णय पारित किया गया कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अस्थायी रूप से ही गई दुकानों का किराया काफी समय वर्षों से जमा नही करवाया जा रहा है तथा समस्त किरायेदारों को नोटिस जारी करना एवं किराये राशि में अप्रार्थी ग्राम पंचायत पालकी एम में संचालित अन्य दुकानों की किराया राशि की तुलना में किराया अत्यन्त कम होने से ग्राम पंचायत, पालडी एम के आय को स्त्रोत बढ़ाने के लिये ग्राम पंचायत पालडी एम ने किराये की राशि पक्की दुकानों का किराया रुपये 1,000/- (अक्षरे एक हजार रूपये) प्रतिमाह किये जाने का निर्णय प्रस्ताव संख्या 03 में 04 के द्वारा बैठक में सदस्यों की मौजूदगी में पारित किया तथा उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में दिनांक 20.11.2020 को अप्रार्थी ग्राम पचायत, पालडी एम द्वारा नोटिस क्रमांक 689 प्रार्थी को जारी कर किराया राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया है। उक्त नोटिस अप्रार्थी ग्राम पचायत पालडी एम ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में दिया है उक्त नोटिस प्रार्थी को प्राप्त होने के वावजुद भी प्रार्थी द्वारा किराया राशि अदा नही किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अप्रार्थी ग्राम पचायत पालडी एम को आज दिनांक नही दिया है तथा प्रस्ताव संख्या 03 व 04 की जानकारी प्रार्थी को हो जाने के बावजुद भी उक्त प्रस्ताव सख्या 03 व 4 को प्राथी द्वारा किसी सक्षम न्यायालम/सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है उक्त प्रस्ताव संख्या आज भी विधिवत अस्तित्व में है। प्रार्थी द्वारा अप्रेल, 2010 से नियमित रुप से किराया भी अदा नही किया जा रहा है जिससे पंचायत की निजी आय प्रभावित हो रही थी। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पदीय कतव्यों के निवर्हन में प्रार्थी को नोटिस क्रमाक 689 जारी किया गया है एवं इस नोटिस का प्रार्थी ने ग्राम पंचायत में जवाब भी पेश नही किया व न ही किराया राशि अदा की है। जिस पर ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा पुनः वर्ष 2021 में नोटिस संख्या 769 व 784 जारी कर बकाया राशि जमा करवाने हेतु प्रार्थी को पुनः सूचित किया गया है। इन नोटिसों भी प्रार्थी ने किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी है और उक्त नोटिस आज भी प्रभाव में है। यदि प्रार्थी हठधर्मिता पूर्वक उक्त कराये के परिसर में व्यवसाय कर रहा है, लेकिन किराया की राशि पंचायत कोष में जमा नही करवा रहा है तथा न ही किराये का परिसर खाली कर रहा है। जिस पर दिनांक 08.12.2021 को ग्राम पंचायत की सामान्य बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 पारित किया गया कि प्रार्थी दलपतसिंह के किराये की राशि नियमित रुप से अदा नही कर रहा है, मौके पर दुकान चालू है, इसलिये कमेटी गठित कर कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को लिखा जाये। उक्त प्रस्ताव संख्या 03 की पालना में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पालडी एम व ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों ने मौके पर जाकर मौका निरीक्षंण किया एवं मौका निरीक्षण में मौके पर दुकान चालू होना बताया है। आस पास के किरायेदारों द्वारा किराया जमा करवाया जा रहा है, इसलिये उक्त किराये पर दी गई केबिन को सिज किया जाने व प्रार्थी से किराये का परिसर खाली करवाने का निर्णय पंचायत द्वारा लिया गया है। उक्त प्रस्ताव संख्या 3 को भी प्रार्थी द्वारा किसी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है व यह प्रस्ताव भी अस्तित्व में है। यह कि उक्त प्रश्नगत सम्पति ग्राम पंचायत, पालडी एम. के मालकी व स्वामित्व की सम्पति है, जो ग्राम पंचायत पालडी एम द्वारा प्रार्थी को अस्थाई तौर पर किराये पर दी गई है तथा इसका किराया भी प्रार्थी द्वारा नियमित रुप से अदा नही किया जा रहा है, इसलिये ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर नोटिस जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पालडी एम. द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध नोटिस क्रमांकः 689 दिनांक 20.11.2020 को इस आशय का जारी

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

किया गया है कि ग्राम पंचायत भूमि पर अस्थाई केबिन आपको ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित शर्तो पर आवंटित किया गया था। विगत माह अप्रेल [illegible] से आज तक आपका किराया राशि रुपये 28,790/- बकाया चल रही है। किराया राशि 7 दिवस में जमा करवाये, अन्यथा आपको केबिन/अस्थाई दुकान से बेदखली करने की कार्यवाही की जायेगी एवं वसूली राशि हेतु पी.डी.आर. एक्ट में कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी को उक्त बकाया किराया राशि जमा करवाने हेतु नोटिस क्रमांक 769 दिनांक 23.2.2021 को एवं नोटिस क्रमांक 784 दिनांक 12.3.2021 को भी जारी किये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम की बैठक दिनांक 08.12.2021 में प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पंचायत की भूमि पर किरायानामा पर दलपतसिंह पुत्र इन्दरसिंह देवडा के नाम से दुकान संचालित है, किरायेदार द्वारा विगत 10 वर्षो दिनांक 07.1.2022 से किराया जमा नही करवाया जा रहा है, मौके पर दुकान चालू है, आस-पास के सभी किरायादार दुकानों का किराया समय पर जमा करवा रहे है, इसलिये मौके का वार्ड सदस्यों से मौका निरीक्षण करवाकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को लिखा जाये। ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 08.12.2021 के अनुसरण में वार्ड सदस्यों की गठित कमेटी द्वारा दिनांक 08.12.2021 को मौका निरीक्षण किया गया है, जिसमें मौके पर दुकान चालू पाई गई तथा पंचायत की कमेटी द्वारा श्री दलपतसिंह पुत्र इन्दरसिंह देवडा के केबिन को सीज करने एवं खाली करने की सिफारिश की गई। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, पालडी एम. के पत्र क्रमांक 215 दिनांक 07.1.2022 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज को पीडीआर एक्ट के तहत कार्यवाही व बेदखल करने हेतु अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम की बैठक दिनांक 28.10.2020 में प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा अस्थाई रुप से दी गई दुकानों का काफी समय से किरायेदारों द्वारा किराया जमा नही करवाने से समस्त किरायेदारों को नोटिस जारी करने एवं नियमानुसार प्रति वर्ष 10 प्रतिशत राशि अधिक करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत, पालडी एम की उक्त पंचायत बैठक दिनांक 28.10.2020 मे प्रस्ताव संख्या 4 में ग्राम पंचायत द्वारा अस्थाई किराया पर दी गई दुकानों, जिनमे पक्की दुकानों का रुपये 1,000/- (अक्षरे रुपये एक हजार) प्रतिमाह, कच्ची दुकान का रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पांच सौ) प्रतिमाह एवं लॉरी का रुपये 300/- (अक्षरे रुपये तीन सौ) प्रतिमाह करने का निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 163 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि को अस्थाई उपयोग हेतु किराये पर दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दुकानें और अन्य वाणिज्यिक स्थल तीन वर्ष से अनाधिक के लिये नियम 151 में वर्णित सदस्यों की समिति द्वारा खुली नीलामी के जरिये दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164(3) ऐसे परिसरों को किराये पर देने के पट्टा करारों में किराया रकम में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढाने की शर्त सम्मिलित होगी तथा नियम 164(4) के अनुसार यदि परिसर 3 वर्ष की समय सीमा के पश्चात् खाली नही किये जाये, या वे करार के निर्बन्धनों के अतिक्रमण में किसी भी अन्य व्यक्ति को उप पट्टे पर दे दिये जाये अथवा किराया नियमित रुप से जमा नही कराया जाये, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिसर की बेदखली के लिये हेतुक दर्शित करने का नोटिस देने के बाद परिसर खाली करवाया जायेगा, यदि संबंधित पंचायत या पंचायत समिति द्वारा ऐसा

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

निवेदन किया गया हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(5) के अनुसार पंचायत या पंचायत समिति तीन वर्ष की अवधि बढाने के विषय पर बातचीत भी कर सकेगी, किन्तु ऐसे मामलें में पारस्परिक करार द्वारा किराये में की जाने वाली वार्षिक वृद्धि की रकम 20 प्रतिशत होगी।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा केबिन रखने हेतु किराये पर दी गई भूमि पर प्रार्थी ने पंचायत की अनुमति के बिना पक्की दुकान बनाई है, जबकि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अस्थाई उपयोग हेतु पंचायत के स्वामित्व की भूमि केबिन रखने हेतु किराये पर आवंटित की गई है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम ने प्रार्थी द्वारा विगत अप्रेल, 2010 से बकाया किराया राशि ग्राम पंचायत कोष में जमा नही करवाने से बकाया किराया राशि जमा करवाने के संबंध में प्रार्थी को उक्त नोटिस जारी किये गये है एवं प्रार्थी द्वारा बकाया किराया राशि ग्राम पंचायत में जमा नही करवाने से ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा दिनांक 28.3.2021 को प्रस्ताव संख्या 3 पारित किया गया है, जो विधि अनुरुप है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*

Scanned with OKEN Scanner